श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2017 को आयोजित भू–विवाद से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा बैठक पंजी।

सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा थानाध्यक्षों से प्राप्त भू–विवाद से संबंधित समेकित सूची समर्पित की गयी तथा थानावार भू–विवाद के मामले की समीक्षा की गई एवं स्थिति निम्वत् पाई गई :–

1. **मोरकाही थाना** :–

थानाध्यक्ष, मोरकाही द्वारा बताया गया कि इस थाना क्षेत्रान्तर्गत खगड़िया एवं अलौली अंचल का क्षेत्र पड़ता है। इस थानान्तर्गत भू–विवाद के निम्नांकित मामले हैं :–

अलौली अंचल के मौजा खैरी खुटहा, खाता सं0–229, खेसरा–733, खाता–249 बीघा में भूस्वामी केवालादार एवं महादलित (मुशहर) जाति के साथ जमीन विवाद है। उक्त जमीन पर 134 मुसहर जाति के लोगों को पर्चा दिया गया है परन्तु पर्चा में चौहदी अंकित नहीं रहने के कारण जमीन कहाँ पर है पता नहीं चल रहा है तथा दोनों पक्ष एक ही जमीन का दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि अंचलाधिकारी से दोनों पक्षों की वार्त्ता हुई है एवं दोनों पक्ष उक्त जमीन की नापी मानने को तैयार हैं। अंचलाधिकारी के प्रतिनिधि प्रभारी अंचल निरीक्षक ने बताया कि अमीन नहीं हैं। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जमीन की नापी व सीमांकन नही कराये जाने पर मारपीट एवं अन्य घटना हो सकती है। वर्त्तमान में उक्त जमीन पर धारा–144 के अंतर्गत् कार्रवाई की गई है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया कि अमीन की प्रतिनियुक्ति कर अंचलाधिकारी, अलौली को नापी कराने की कार्रवाई हेतु निदेशित करें।

(अनुपालन–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया/अंचल अधिकारी, अलौली)

मौजा दहमा खैरी खुटहा के खाता नं0–229, खेसरा–813, रकबा–01 एकड़ की जमीन को संतोष कुमार, पे0–बिन्देश्वरी सिंह, सा0–खैरी, थाना–मोरकाही द्वारा केवाला से क्रय किया गया है। अंचलाधिकारी के जाँच में संतोष कुमार की जमीन की जमावंदी में रकवा शून्य है एवं उसका दावा राजस्व अभिलेख के अनुसार सही नहीं है। इस जमीन पर महादलित (मुसहर) समुदाय के 39 लोग बाँस–खुट्टा गाड़ कर कब्जा के प्रयास में हैं जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव व्याप्त है। इस संबंध में दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा–107 के अंतर्गत् कार्रवाई की गयी है एवं द0प्र0सं0 की धारा–144 के अंतर्गत् दोनों पक्षों को प्रतिबंधित किया गया है।

थानाध्यक्ष, मोरकाही ने बताया कि मौजा माड़र उत्तरी के खाता सं0–155, 26, 08, खेसरा– 287, 261, 262, 274, 275, 277 एवं 291, रकबा–161 एकड़ में जमीन विवाद है। महादलित (मुसहर) जाति के लोग इस जमीन को भूदान से मिले पर्चे की जमीन की बात बता रहे हैं जब कि जमीन मालिक के केवालादार क्रेता इसे अपनी जमीन बता रहे हैं, इससे तनाव व्याप्त है। शांति–व्यवस्था के दृष्टिकोण से दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

(अनुपालन– संबंधित अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष)

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूदान के पर्चा वाली जमीन पर भी समस्या है। प्रभारी अंचल निरीक्षक, अलौली ने बताया कि भूदान की जमीन का पर्चा अंचलाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर से निर्गत् है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि दस्तावेज से मिलान करें एवं जो पर्चा गलत निर्गत् है उस रद्द करने की कार्रवाई करें। यह भी निदेश दिया गया कि

अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता इस समस्या का समाधान करेंगे। सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराये गये पर्चा सही है या गलत है, इस समस्या का अविलम्ब समाधान करें।

(अनुपालन– संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / सभी अंचलाधिकारी)

ऐसे सारे मामले जिसमें पर्चा निर्गत् हुआ है एवं जिसमें पर्चा वाली जमीन पर दखल दिलाना मुश्किल हो जाय उसके संबंध में तुरंत निर्णय लें। इस समस्या का समाधान कैसे होगा इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि जितनी संदेहास्पद पर्चे निर्गत् किये गये हैं उसकी सूची तैयार कर उसके संबंध में नियमानुसार अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर ऐसे जमीन का मौजा, खाता, खेसरा, रकवा इत्यादि के साथ सूची संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / सभी अंचलाधिकारी)

2. **<u>अलौली थाना</u>** :–

थानाध्यक्ष, अलौली ने बताया कि चेराखेरा पंचायत के थाना नं0–203, खाता नं0–1204, खेसरा–5074 / 6.55, सरवस्ता, खेसरा–1794, सर्वे रकबा–2.71 एकड़ या 3 बीघा 01 कट्ठा 07 धूर जमीन स्थानीय खतियान के मुताविक गैरमजरूआ आम सड़क की जमीन है। बतौना टोला में 20 महादलित परिवारों द्वारा बाँस का खुँटा एवं फूस का छप्पर गाड़कर गैर मजरूआ आम जमीन को अतिक्रमित किया गया है। 17 व्यक्तियों का नाम, पता चला है एवं 03 व्यक्ति का नाम, पता नहीं चला है। स्थानीय वार्ड सं0–01 के लीला देवी के कहने पर ऐसा किया गया है। विधि–व्यवस्था को देखते हुए नामित व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है। अचंलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे इस संबंध में जांच करें तथा जिनके पास वास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं हैं उसका सर्वे कर भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– अंचलाधिकारी, अलौली)

समीक्षा के क्रम में प्रभारी अंचलाधिकारी, अलौली ने बताया कि लोगों का कहना है कि अब उनका परिवार बढ़ गया है इसलिए बढ़े हुए परिवारों को वास हेतु जमीन उपलब्ध कराई जाय। उन लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वसे हुए जमीन की पुनः नापी कराई जाय। अंचल निरीक्षक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में अंचल कार्यालय द्वारा थानाध्यक्ष को प्रतिवेदन भेजा गया है। थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि वे मामले की गंभीरता को देखते हुए यदि प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता हो तो संबंधित लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–संबंधित अंचल अधिकारी / थानाध्यक्ष)

थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि खैरी के अमोल सिह 8 बीघा जमीन लिये हैं परन्तु उस पर आज तक नहीं गये हैं। उस जमीन पर महादलित वस गये हैं। यह जमीन 120 बीघा विवादित जमीन के वगल की है। महादलित लोग 120 बीघा जमीन के संदर्भ में कोर्ट से जीत भी गया है। अचंलाधिकारी इस मामले को देखेंगे एवं प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी)

3. **<u>मड़ैया ओ0पी0</u>** :–

थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मौजा–अररिया के थाना नं0–332, तौजी नं0–525, खाता नं0–03, खेसरा नं0–121 एवं 418 रकबा–4वीघा, 12 कट्ठा जमीन का विवाद दो व्यक्तियों के

बीच का है। इस संबंध में मामला भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में चल रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि इस पर नजर रखेंगे एवं शांति–व्यवस्था कायम रखना सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करेंगे।

(अनुपालन–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी/थानाध्यक्ष, मड़ैया ओ0पी0)

4. <u>**पसराहा थाना**</u> :–

थानाध्यक्ष ने बताया कि भू–विवाद के तीन मामले है:–

(क) मौजा चन्दवाडीह पसराहा खेसरा नं0 299–60 खेसरा–48, 491 रकबा 2 बीघा 8 कट्ठा 10 धूर

(ख) मौजा कोलीवारा खाता–116, खेसरा 245, 244, 246, 306 रकवा 02 बीघा 10 कट्ठा एवं खाता सं0 35, खेसरा 244, खाता–62, रकवा–13:17 धुर दोनों पक्षों के बीच 01 बीघा 10 कट्ठा

(ग) मौजा देवठा खाता–136 खेसरा–118 रकबा–13 कट्ठा 17 धुर, खाता 709, 7060 रकवा 18 कट्ठा 11 धुर, खाता 136 खेसरा 119, रकवा 02 बीघा 17 कट्ठा 01 धुर, खेसरा–118 रकबा–01 बीघा, 18 कट्ठा 06 धूर जमाबंदी–313, खाता–136, खेसरा–711 रकबा–4 वीघा, 05 कट्ठा, 07 धूर जमाबंदी 3144 कुल जमीन–12 बीघा 16 कट्ठा, 03 धूर ये मामले आपसी दो अथवा दो से अधिक पक्षों के बीच का है। इन मामलों में प्राथमिकी एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

(अनुपालन– थानाध्यक्ष/अंचलाधिकारी)

5. <u>**बेलदौर थाना**</u> :–

थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि उनके थाना क्षेत्र में कुल 7 भू–विवाद के मामले हैं जो रंगदारी कर जमीन जोतने, जमीन जोतने से रोकने, जमीन कब्जा करने एवं रास्ता रोकने से संबंधित है। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पीरनगरा से मठ की 75 वीघा जमीन है जो विवादग्रस्त है। मठ की जमीन को लोग पट्टा पर लगाकर उससे प्राप्त राशि मंदिर में लगाई जा रही है। वर्त्तमान में मठ की समिति बन गई है। निदेश दिया गया कि ऐसे मामले जहाँ मठ के नाम पर बहुत जमीन आती है तथा मठ धार्मिक न्यास परिषद् के अधीन है उसकी जमीन के लिए समिति का गठन करायें एवं उसका पारदर्शी समाधान निकालें।

(अनुपालन– सभी अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष)

दिघौन चौढ़ली के मौजा–दिघौन तोजी नं0–525 जमावंदी सं0–167LRD, 168 LRD खाता–433 खेसरा–1405 रकबा–13–15–02–0 के संबंध में बताया गया कि शिवली मियाँ एवं अन्य वनाम श्रवण ठाकुर के वीच विवाद है। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि ऐसे निजी जमीन के संबंध में दोनों पक्षों को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में जाने का सुझाव देंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, बेलदौर/थानाध्यक्ष, बेलदौर)

थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि जिस जमीन पर दं0प्र0सं0 की धारा–144 के तहत् कार्रवाई चल रही हो वैसे जमीन की में लगे फसल को प्रशासन अपनी देख–रेख में फसल कटवा कर एवं फसल को बेच कर उससे प्राप्त राशि को जमा रखें ताकि मुकदमा के निष्पादन होने पर जिनकी जमीन पायी जाती है उसके रैयत को फसल की राशि उपलब्ध कराया जा सके।

(अनुपालन–सभी अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष)

6. **परबत्ता थाना** :–

थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र में 5 भू–विवाद के मामले हैं। कवेला, रूपहौली, शिशवा, सियादपुर अगुवानी एवं करना मौजा की जमीन पर विवाद है। मौजा करना के विवादित जमीन पर द0प्र0स0 की धारा–144 के अंतर्गत् एवं अन्य 4 मौजा के संबंध में परबत्ता थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जमीन विवाद के मामले में तुरंत दं0प्र0स0 की धारा–144 लागू करेंगे तथा केस का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

7. **भरतखंड ओ0पी0** :–

थानाध्यक्ष/ओ0पी0प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस ओ0पी0 के अंतर्गत् 2 मामले भूमि विवाद के हैं। एक मामला मौजा–गौड़ागोपी के खाता नं0–162 खेसरा नं0–01 तौजी नं0–10015 रकबा–8 कट्ठा 4 धूर का है जो दो पक्षों के स्वामित्व का मामला है। दूसरा मामला ग्राम थेभाय में पावर सब ग्रीड स्टेशन निर्माण हेतु हस्तांतरित सरकारी भूमि से संबंधित है। थानाध्यक्ष/ओ0पी0प्रभारी को निदेश दिया गया कि यदि पावर सब ग्रीड स्टेशन निर्माण कार्य में जिन व्यक्तियों द्वारा आम लोगों को भड़काया जाता है उनके विरूद्ध वीडियो क्लिपिंग एवं पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–थानाध्यक्ष/ओ0पी0प्रभारी)

8. **चित्रगुप्तनगर थाना** :–

थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि मौजा–सन्हौली खाता–268 तौजी–4958 खाता–65,81 खेसरा–700, 699 रकबा–00–17–0–00–14–00 एवं 0–1–11–0 रैयती जमीन पर दो पक्षों मे विवाद चल रहा है। मामला व्यवहार न्यायालय, खगड़िया में चल रहा है। थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि वे दोनों पक्षों को आपस में मिल–बैठकर मामला कर समाधान करने की सलाह दें। साथ ही वहाँ विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने पायें, इस पर विशेष ध्यान देंगे।

(अनुपालन–थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर)

9. **मुफ्फसिल थाना** :–

थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मौजा–रहीमपुर बरखंडी, डाढ़ीकास, रॉको एवं हरदास चक तथा परमानंदपुर कुल 4 जगह जमीन विवाद चल रहा है। मौजा–परमानंदपुर के विवादित जमीन को संदर्भ में दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है एवं स्थिति सामान्य है। अन्य 3 मामले में दोनों पक्ष को नोटिस कर अचंलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के संयुक्त जनता दरवार में उपस्थित होने का निदेश दिया गया है। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि वे इसे देखें एव समाधान करायें।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष मुफ्फसिल)

थानाध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि माईन जलकर से संबंधित जमीन का मामला भी चल रहा है। थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इस मामले को संयुक्त उप समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इस ममाले को संयुक्त रूप में लि कर देंखे एवं इसमें आवश्यक कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन–भूमि सुधार उपसहर्त्ता/अंचलधिकारियों/थानाध्यक्ष)

थानाध्यक्ष द्वारा गौड़ाशक्ति मालती धार की जमीन पर दो समुदायों के बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में अवगत कराया गया। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन की जमावंदी रद्द करने हेतु अनुशंसा अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को भेजी गई है। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)

10. **<u>मानसी थाना</u>** :–

थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि मौजा–अरनामा तौजी नं0–1383 थाना नं0–129 खाता –150 खेसरा–440 एवं 441 रकबा–2 वीघा, मौजा–अरनामा तौजी–1383 थाना–129 खाता–150 खेसरा–423 एवं 440 रकवा–4 वीघा 10 कट्ठा, मौजा–अरनामा तौजी–1383, थाना–129 खाता–150 खेसरा–440, 441 एवं 423 रकबा–4 बीघा 10 कट्ठा कुल 4 मामले जमीन विवाद से संबंधित है। ये सभी मामले दो पक्षों के निजी जमीन से संबंधित है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जमीन की नापी कराकर मामला का समाधान करायें।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, मानसी)

थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि खिरनियाँ में मूर्ति रखकर गैर मजरूआ आम जमीन का अतिक्रमण किया गया जिससे आमजनों को परेशानी होती है एवं विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। अंचलाधिकारी, चौथम ने वताया कि उक्त जमीन की जमावंदी रद्द करने हेतु अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को अनुशंसा भेजी गई है। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)

थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि नोनहा में दो पक्षों के बीच 70 वीघा जमीन में भू–विवाद है जिसमें सीमांकन कराने से समस्या का समाधान हो जायेगा। अंचलाधिकारी, चौथम को निदेश दिया गया कि जमीन की नापी कराकर मामला का निष्पादन करें।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, चौथम)

11. **<u>चौथम थाना</u>** :–

थानाध्यक्ष ने वताया कि सरसावा के खाता नं0–281 खेसरा–233 रकवा–3वीघा, करूआ मोड़ के खाता–65 खेसरा–234 आरजी–31 रकवा–12 कट्ठा 15 धूर एवं सोनवर्षाघाट के खाता–506 खेसरा–6226 रकबा–10 कट्ठा पर भू–विवाद है। यह विवाद दो पक्षों के वीच का है। करूआमोड़ एवं सोनवर्षाघाट की जमीन पर क्रमशः दं0प्र0स0 की धारा–144 एवं 107/116 के अंतर्गत् कार्रवाई की गई है। सरसवा की जमीन विवाद में चौथम थाना कांड सं0–68/16 दिनांक 11.06.16 के तहत् कार्रवाई की गयी है एवं वर्त्तमान में भूमि पर निगरानी रखी जा रही है। अंचलाधिकारी, चौथम ने वताया कि सरसवा में 70 वीघा में भू–विवाद का मामला है तथा तीन वीघा पर दो पक्षों के वीच भू–विवाद चल रहा है। 65 वीघा जमीन के पर्चा को रद्द करने वा प्रस्ताव भेजा गया है तथा उक्त भूमि पर निगरानी रखने हेतु चौकीदार को प्रतिनियुक्त किया गया है।

थानाध्यक्ष, चौथम द्वारा बताया गया कि धमहराघाट में नाव जोड़कर पुल बनाने के विन्दु पर दूसरा पक्ष के वीच तनाव की स्थिति है। अंचलाधिकारी, चौथम ने बताया कि नाव यातायात समिति को घाट में नाव चलाने हेतु वदोवस्ती दी गई है, परन्तु नावों को जोड़कर पुल बनाया गया है तथा दूसरे व्यक्ति भी नाव जोड़कर पुल वनाना चाहते हैं जिसके कारण दोनों पक्ष

में तनाव है। थानाध्यक्ष एवं अचंलाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमानुसार कार्रवाई करें तथा नाव चलाने की बंदोवस्ती है तो नाव ही चलायें न कि नावों को जोड़कर पुल बनायें।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी / थानाध्यक्ष, चौथम)

12. **गंगौर थाना** :– '

थानाध्यक्ष के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा–रहीमा, जहाँगीरा, भगवानचक, रानीसकरपुरा, ओलापुर गंगौर, बेलासिमरी, ग्राम सादपुर मौजा नवटोलिया थाना साहेबपुर कमाल के कुल 7 जगहों पर भू–विवाद चल रहा है। दो पक्षों की वीच का झगड़ा है। निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अंचलाधिकारी के जनता दरवार में दो मामला चल रहा हैं। दो मामलें में प्राथमिकी दर्ज है तथा एक मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। थानाध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि बेलासिमरी में 3 वीघा 9 कट्ठा तथा रहीमा खरैया में जवरदस्ती जमीन में झोपड़ी वनाकर दखल कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि उन्हें वास की जमीन उपलब्ध नहीं है। अंचलाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में जांच कराये तथा यदि वास्तव में उन्हें वास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है तो "अभियान बसेरा" के अंतर्गत भूमिहीन को वास हेतु जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, खगड़िया / थानाध्यक्ष, गंगौर)

थानाध्यक्ष ने बताया के गोगरी दियारा ग्राम सैदपुर मौजा एवं जहाँगीरा मौजा में गंडक की वरारी जमीन को लेकर ग्राम सादपुर मौजा नवटोलिया एवं ग्राम गंगिया के ग्रामीणों के द्वारा वर्चस्व को लेकर जमीन कब्जा लेकर आये दिन मारपीट एवं खून–खराबा होने की संभावना बनी रहती है।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इस संबंध में जिलाधिकारी, बेगूसराय को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से पत्र लिखना सुनिश्चित करं।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया)

13. **गोगरी थाना** :–

थानाध्यक्ष ने बताया कि जमालपुर बाजार स्थित रामजानकी ठाकुरबाड़ी में जमीन को लेकर साम्प्रदायिक तनाव हो गया है। मामला संवेदनशील है। दोनों सम्प्रदाय के बच्चे इस जमीन पर खेलने आते हैं एवं झंझट होता है। दोनों सम्प्रदाय के लोगों के विरूद्ध केस दर्ज कर जेल भेजा गया है। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि चूँकि जमीन मठ की है एवं धार्मिक न्यास परिषद् से सम्बद्ध है अतएव इस स्थल पर शंति व्यवस्था हेतु भुगतान के आधार पर पुलिस बल प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेंजेगे।

(अनुपालन– अंचलाधिकारी, गोगरी / थानाध्यक्ष, गोगरी)

थानाध्यक्ष ने यह भी वताया कि बोरना में विपिन सिंह एवं सुलेमान के बची जमीन विवाद है। दाखिल–खारिज जमीन की नहीं हुई है परन्तु जमीन का दावा कर रहे हैं। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि दोनों पक्ष को समझा कर मामला का समाधान करायें।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, गोगरी / थानाध्यक्ष, गोगरी)

थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि जमालबाग में फलदार वृक्ष हैं। इस जमीन पर दो पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जब वृक्ष में फल लगे तो दं0प्र0स0 की धारा–144 लगवा कर एवं फलों को बेचकर उसकी राशि अंचलाधिकारी रखें एवं जिनके पक्ष में जमीन होने का सबूत मिलेगा उन्हें फल की राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

(अनुपालन–अचंलाधिकारी / थानाध्यक्ष, गोगरी)

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि दं0प्र0स0 की धारा–144 लगे रहने के वावजूद योजनाओं पर निर्माण कार्य अथवा जमीन की जोत–आबाद इत्यादि कार्य किये जाते हैं तथा थाना स्तर से दोषी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यह अत्यन्त खेदजनक बात है। थानाध्यक्षों को हिदायत दी गयी कि यदि इस प्रकार का मामला प्रकाश में आयेगा तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन–सभी थानाध्यक्ष)

कुछ थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अनुमंडल स्तर से धारा–144 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, परन्तु समय पर आदेश पारित नहीं होने पर निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त उक्त वाद स्वतः समाप्त हो जाता है। जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दं0प्र0स0 की धारा–144 के वादों में निर्धारित समय–सीमा के अंदर आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

14. **नगर थाना** :–

समीक्षा के क्रम में नगर थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि खगड़िया शहर सुरक्षा तटबंध के गायत्री मंदिर के निकट लोग सरकारी भूमि को अतिक्रमित हुए हैं उसे अविलम्ब खाली करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–नगर थानाध्यक्ष)

सभी थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि भू–विवाद से संबंधित मामलों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी अंचलाधिकारी / सभी थानाध्यक्ष)

प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि भू–विवाद से संबंधित मामलों की सूची कम्प्युटराईज्ड कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 2792 / गो0, दिनांक 07-12-17

प्रतिलिपि : जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया / जिला आई0टी0मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारियों को Email एवं जिला के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी / सभी थानाध्यक्ष, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, खगड़िया / अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया एवं गोगरी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खगड़िया / प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया / संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस उप–महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।